<u>घनश्यामपुर थाना काण्ड संख्या – 37/2021, जी० आर० संख्या – 126/2021</u>

<u>11/09/21–</u>

अभिलेख लोक अदालत में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तृतीय के यहाँ से प्राप्त हुआ। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्त **मोहन झा, गुणदेव झा, अनिल झा, नरेश झा, देवेन्द्र झा, राहूल झा, मुखनाथ झा उर्फ मंगनु झा तथा नीतीश झा** के विरुद्ध दिनांक 07/09/21 को **भा०द०वि० की धारा 341,323,504,506/34** के अन्तर्गत अभियोग का सारांश सुनाया गया था। सभी अभियुक्तगण आरोप पूर्व न्यायालय द्वारा जमानत पर है। उभय पक्षों की ओर से दाखिल सुलहनामा अभिलेख पर मौजुद है।

सूचक हीरा कान्त झा व पीड़ित अभिराम झा, कमल कांत झा तथा अभियुक्तगण मोहन झा, गुणदेव झा, अनिल झा, नरेश झा, राहूल झा, मुखनाथ झा उर्फ मंगनु झा तथा नीतीश झा आज लोक अदालत में उपस्थित है और सुलह की बात को स्वीकार करते है। पीड़ित तारा कांत झा तथा अभियुक्त देवेन्द्र झा वर्चुअल माध्यम से आज लोक अदालत में उपस्थित हुए और सुलह की बात को स्वीकार किये, जिसकी पहचान उभय पक्षों ने की। अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोप द०प्र०सं० की धारा 320 के तहत सुलहनीय है। लोक अदालत द्वारा सुलह के आलोक में पंचाट पारित किया गया जिस पर उभय पक्षों का हस्ताक्षर/निशान कराया गया।

लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह अभिलेख को अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तृतीय के न्यायालय में पंचाट सहित वापस भेजें।

लेखापित

[signature]

पीठासीन पदाधिकारी, लोक अदालत

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA